जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़

CIN: U40109RJ2000SGC016486

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

"प्रभारिम शशि सूर्ययो:"

पंजीकृत कार्यालय : विद्युत भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर-302005

दूरभाष : 0141-2740264, 2740381 विस्तार : 1436 फैक्स: 0141-2740264

Website: www.jaipurdiscom.com E-mail :caoia@jvvnl.in

क्र. जेपीडी/मु. ले. (आं. अं.)/ले. (नियम)/पत्रा. 20 /प्रे. 4977 जयपुर दिनांकः 20/2/2018

आदेश

माननीय प्रबंध निदेशक के स्तर पर दिनांक 23.01.2018 को आहूत सतर्कता शाखा की मासिक समीक्षा बैठक के दौरान लम्बित सतर्कता जांच प्रतिवेदनों की संख्या एवं उनकी बकाया राशि की प्रगति की समीक्षा की गयी। समीक्षा के दौरान पाया गया कि पवस वृतों एवं विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थानों के अंतर्गत उपभोक्ताओं व गैर उपभोक्ताओं से संबंधित बहुसंख्यक सतर्कता जांच प्रतिवेदन तार्किक निस्तारण हेतु लम्बित पडे हुये है, जिनमें से अनेक में न तो पर्याप्त साक्ष्य है एवं न ही विद्युत चोरीकर्ता के बारे में पूर्ण व सही जानकारी अंकित है। इन प्रकरणों में विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थानों में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज होना विधिक रूप से संभव नहीं है, फलस्वरूप सतर्कता जांच प्रतिवेदन भरने का औचित्य प्रभावहीन होने के साथ-साथ निगम की राजस्व वसूली भी अवरूद्ध हो रही है।

अतः इस संबंध में बैठक में चर्चा के उपरान्त लिये गये निर्णय के अनुसरण में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 के अंतर्गत तैयार किये गये सतर्कता जांच प्रतिवेदनों में संबंधित विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थानों को बिना मुकदमा दर्ज किये ही राजस्व निर्धारण राशि (वैधानिक दायित्व + प्रशमन राशि) जमा करने हेतु अधिकृत किया जाकर, निम्नांकित दिशा-निर्देश जारी किये जाते है, जो तत्काल रूप से लागू होगे :-

1. वीसीआरस् की राजस्व निर्धारण राशि (वैधानिक दायित्व + प्रशमन राशि) संबंधित थानाधिकारी, विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थाना द्वारा बिना मुकदमा दर्ज किये, थाने पर पूर्व से उपलब्ध ए-9 रसीद के माध्यम से जमा की जावेगी एवं रसीद में प्रशमन व वैधानिक दायित्व राशि का अलग-अलग उल्लेख किया जावेगा। राशि जमा के पश्चात् ए-9 व वीसीआर के ऊपर "NON-FIR" अंकित किया जावेगा।

2. वीसीआरस् में थाने पर राजस्व निर्धारण राशि जमा होने के उपरान्त, थाने द्वारा उसकी सूचना तत्काल रूप से संबंधित उपखण्ड कार्यालय को लिखित में दी जावेगी, जिससे कि उपखण्ड कार्यालय द्वारा उपभोक्ताओं व गैर उपभोक्ताओं के प्रकरणों में उनके निस्तारण का आवश्यक इन्द्राज अपने रिकार्ड में किया जा सके।

3. वीसीआरस् में थाने द्वारा उपरोक्तानुसार राशि जमा के उपरान्त, उसका उपभोक्ता व गैर उपभोक्ता वार अभिलेख पृथक से संधारित किया जावेगा।

4. वीसीआरस् में ए–9 प्राप्ति रसीदों के माध्यम से जमा राशि का थाने द्वारा इन्द्राज संबंधित छिद्रित रोकड़ बहियों (पी.सी.बी) में आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जावेगा।

5. वीसीआरस् के ऐसे प्रकरण, जो विभिन्न स्तरों पर गठित वीसीआर मॉनिटरिंग एवं रिव्यूईंग कमेटी में विचाराधीन है अथवा जिनके विरूद्ध संबंधित उपभोक्ता व गैर उपभोक्ताओं द्वारा न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर रखा है, उनमें थाने द्वारा राशि जमा नहीं की जा सकेगी।

6. माह जून 2016 के पहले की पैण्डिंग वीसीआरस् में निगम के आदेश क्र. जेपीआर5–882 दि. 28.07.2017, जेपीआर5–883 दि. 04.08.2017 एवं जेपीआर5–923 दिनांक 31.01.2018 द्वारा संचालित योजना के प्रावधानों के अंतर्गत थाने द्वारा राशि उपरोक्तानुसार जमा की जा सकेगी।

आज्ञा से

20/02/18

(डॉ. आर. पी. गुप्ता)
मुख्य लेखाधिकारी (आं.अ.)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ अग्रेषित है:–

1. मुख्य अभियन्ता/संभागीय मुख्य अभियन्ता, ( ), जयपुर डिस्कॉम।
2. उप मुख्य अभियन्ता ( ), जयपुर डिस्कॉम।
3. मुख्य कार्मिक अधिकारी, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
4. सचिव (प्रशासन)/कम्पनी सचिव, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
5. मुख्य लेखाधिकारी (वि.प्र. एवं मार्गो./राजस्व एवं नियंत्रण) जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।

6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
7. अधीक्षण अभियन्ता ( ), जयपुर डिस्कॉम।
8. अधीक्षण अभियन्ता (आई.टी.), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
9. वरिष्ठ लेखाधिकारी ( )/उपनिदेशक कार्मिक ( ), जयपुर डिस्कॉम।
10. लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी ( ), जयपुर डिस्कॉम।
11. निजी सहायक, अध्यक्ष, जविविनिलि, अविविनिलि एवं जोविविनिलि (डिस्कॉम्स)/प्रबन्ध निदेशक, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
12. निजी सहायक, निदेशक (वित्त/तकनीकी), जविविनिलि/अविविनिलि/जोविविनिलि, जयपुर/अजमेर/जोधपुर।

Basaniwal

(बी. एस. बासनीवाल)
लेखाधिकारी (नियम)